

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक:..... /

सं०सं०-08/उ०नि०/कलस्टर विकास/24-07/2022

प्रेषक,

सहायक उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
नालन्दा, लखीसराय, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण एवं वैशाली।

पटना, दिनांक:.....

विषय :- मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिश्रव के त्रुटि/आपत्ति निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 से संबंधित डी०सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय, पटना को समायोजन हेतु भेजा गया था, जो महालेखाकार कार्यालय, पटना आपत्ति के साथ वापस कर दिया है।

लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि विपत्र के त्रुटियों/आपत्तियों का निराकरण संबंधित कलस्टर से होना है।

अतः अनुरोध है कि त्रुटियों/आपत्तियों के निराकरण हेतु उद्योग निदेशालय के लेखा शाखा से सम्पर्क स्थापित कर अभिश्रव प्राप्त कर लिया जाए तथा त्रुटियों/आपत्तियों का निराकरण कर उद्योग निदेशालय, लेखा शाखा को उपलब्ध करा दिया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सहायक उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

दिनांक:-.....

ज्ञापांक:-.....

सं०सं०-08/उ०नि०/कलस्टर विकास/24-07/2022

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सहायक उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

दिनांक:- 05/12/2022

ज्ञापांक:- 3869

सं०सं०-08/उ०नि०/कलस्टर विकास/24-07/2022

प्रतिलिपि :- आई०टी०प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाई पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।